तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

11.11.2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र व दस्तावेज पेश किये जो शामिल किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 व मूल अपील कि बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.11.2022 को पेश हुई।

C.A.

14.11.2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अपील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद बाबत पेश किया जिस पर सुना गया। एवं प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 के बिन्दूओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रार्थना–पत्र दफा 5 अवधि अधिनियम न्याय।हेतु स्वीकार किया जाता है।

C.A.

मूल अपील व दिनांक 11.11.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात उभय पक्ष कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड व वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि अपीलान्ट के नाम से जारी नोटिस में भूमि का ग्राम तिगरी दर्ज है एवं न्यायालय कि प्रमाणित प्रतिलिपी में तिगरी ग्राम को काटकर इमलोहा दर्ज किया हुआ है। जिस बाबत मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण पत्रावली में कई जगह सफेद इंक लगाकर काट–छांट की हुई है। जिस पर किसी का स्तमापन बाबत हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है। अतिक्रमण क्षेत्र को खसरा नक्शा में चारो दिशाओं के माप सहित नहीं दिखाया है। जहां तक वकील रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि मौके पर जी.पी.एस. द्वारा सीमांकन कर पीलर लगाये हुये है। परन्तु सीमांकन के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट व दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जिससे वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बताये गये कथन कि पुष्टि होती हो तथा मूल पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि नजरी नक्शा व खसरा नक्शा का सूपरइम्पोजिशन नहीं होना पाया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये है। जिनमें भूमि खसरा नं. (नये) दो है। जिसकी पूर्व में किस्म सिवायचक दर्ज है। जिसमें से कुछ भूमि वन–विभाग को दी गई थी। परन्तु मौके पर वन–विभाग द्वारा अपने नाम हुई भूमि का सीमांकन करवाया गया हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड व रिपॉर्ट वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश नहीं कि गई है। जिससे इस तथ्य कि पुष्टि होती हो।

वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.11.2022 को जो प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जिस संबंध में वकील अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार पाटन कि कार्यालय में सीमांकन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार सीमांकन करावें।

इस प्रकार मूल पत्रावली में काट–छांट कर सफेद इंक लगाना, सत्यापन नहीं किया जाना, [illegible] खसरा नक्शा में चारों दिशाओं का माप सहित नहीं [illegible] जो संदेह कि स्थिती उत्पन्न करता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(अनिल कुमार)
[illegible] जिला कलक्टर
[illegible] जिला मजिस्ट्रेट
[illegible] (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:57:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व जो तामील
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है। तथा सहायक वन संरक्षक सीकर का आदेश दिनांक 06.08.2019, मुकदमा नं. 51/2018 उनवानी सरकार बनाम बनवारी अपास्त किया जाकर, पत्रावली सहायक वन संरक्षक सीकर को इस आदेश के साथ रिमांड कि जाती है कि अतिक्रमित रकबे कि मौके जाकर रिपोर्ट मौका फर्द मय नजरे नक्शा जिसमें चारो दिशाओं का सही नाप–जोख लिखा जाकर अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर गुण–अगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु सहायक वन संरक्षक सीकर को निर्णय कि छायाप्रति के साथ तहरीर जारी कि जायें।	
	उक्त आदेश आज दिनांक 14.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।	
	(अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना, सीकर अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:57:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner